

302



न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र. एक/निग./विदिशा/भू.रा./2018/2.1.9.1

राजस्व विभाग
04/04/18
10/04/18
4-4-18

चन्द्रसिंह पुत्र श्री नारायणसिंह राजपूत
निवासी ग्राम मसूदपुर, पुराना बस स्टैण्ड
के पास, गंज बासौदा जिला विदिशा म.प्र.
.....आवेदक

बनाम

- 1- किशोरसिंह पुत्र प्यारेलाल दांगी
- 2- कमलसिंह पुत्र प्यारेलाल दांगी निवासीगण-
ग्राम कानीखेडी, तहसील गंज बासौदा जिला
विदिशा म.प्र.
- 3- मोहनलाल पुत्र मरोसी अहिरवार निवासी
वार्ड क. 14 गंज बासौदा, जिला विदिशा
म.प्र.
- 4- जगदीश प्रशाद पुत्र लक्ष्मीनारायण निवासी
विदिशा, हाल गंज बासौदा म.प्र.
.....अनावेदकगण

L. S. Dhaware
4.4.18
RSM

निगरानी आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता
1959 न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी महोदय गंज बासौदा जिला
विदिशा, के प्रकरण क्र. 140/अपील/16-17 अपील में पारित आदेश
दिनांक 03.03.2018 के विरुद्ध निगरानी प्रस्तुत :-

माननीय न्यायालय,

आवेदक की ओर से निगरानी आवेदन पत्र निम्नानुसार पेश है :-


प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

- 1- यहकि, आवेदक द्वारा एक भूखण्ड 40 फीट लम्बा उत्तर से दक्षिण तथा 25 फीट चौडा
पूर्व से पश्चिम कुल 1000 वर्गफीट जिसकी चतुर्थ सीमायें इस प्रकार है। पूर्व में मकान
मोहन सिंह दांगी, पश्चिम में आरा मशीन मदनलाल, उत्तर में आम रास्ता नगर
पालिका, दक्षिण में भूमि सईदुलहसन व मकान रतनचन्द्र कोमल चन्द्र है उक्त भू खण्ड
को आवेदक ने जर्च रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 21.07.2014 को मोहनलाल पुत्र
मरोमीलाल अहिरवार से कय किया था। जिस पर आवेदक द्वारा विधिवत नामांतरण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2018/2191

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री लखन सिंह धाकड़ उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-12-18 को कलेक्टर, जिला विदिशा के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">  प्रशासकीय सदस्य </p>	